

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कब अदावत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पुष्कर  
श्रीमती गेनी व अन्य बनाम श्री गुलाब सिंह व अन्य  
 किसम मुकदमा 88, 91, 92ए, 188 नं 57/2021 सन् 21/12/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

21/12/21

वादीगण मय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र अन्तगत धारा 88, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28.01.2022 को पेश हो।

*A* *21/12/21*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 पुष्कर (अजमेर)

28/1/22

*पत्रावली पेश हुई कार्य अभिभाषक उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा पत्रावली कां. 9 की ओर की गयी थी गौरीशंकर जनगर द्वारा कालानुसार पेश किया जो वाद पत्र की सामिल मिसल किया गया। कार्य अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत पत्र नवीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को विद्वे, नोटिस में निरस्त किया जाने का पेश किया जो वाद पत्र की सामिल मिसल किया गया। कार्य अभिभाषक के पत्रों पर सुना गया। पत्रावली का आवेदन किया कार्य द्वारा प्रस्तुत पत्रों पर स्वीकार किया जाता है। कार्य द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विद्वे, नोटिस में पेश किया जाता है। पत्रावली के सामिल सुमाय देना नम्बर के साथ है।*

*जु पी सिंह*  
*के माता*  
*जी जी*

*के माता*  
*जी जी*



*A* *28.01.22*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 पुष्कर (अजमेर)

*के माता*  
*जी जी*  
*के माता*  
*जी जी*